

सं.000/वीजीएल/018
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लाक-ए,
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए, नई दिल्ली,
दिनांक: 21.03.2022

परिपत्र संख्या 11/03/22

विषय:- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अंतिम शास्ति आदेशों के कार्यान्वयन और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में ।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 8(1) में दिए गए अधिदेश के अनुसार, केन्द्रीय सतर्कता आयोग अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अधिकारियों के संबंध में संबंधित संगठनों को सतर्कता मामलों में सलाह देता है ।

2. विभागीय कार्यवाहियाँ समाप्त होने के बाद, सक्षम प्राधिकारी द्वारा आरोपित अधिकारी (सीओ) के विरुद्ध अंतिम आदेश जारी किए जाते हैं, यदि सीओ के विरुद्ध आरोप सिद्ध होते हैं, तो उस पर उचित शास्ति लगाई जाती है । आयोग और मुख्य सतर्कता अधिकारी को अंतिम आदेश जारी करने के बारे में भी सूचित किया जाता है । तथापि, आयोग के संज्ञान में यह आया है कि ऐसे कई उदाहरण हैं जहां शास्ति अधिरोपित करने के अंतिम आदेश जारी होने के बाद भी, आदेशों को वास्तविकता में लागू नहीं किया जाता है, इस प्रकार अनुशासनिक कार्यवाही की पूरी प्रक्रिया निष्फल हो जाती है ।

3. अतः, आयोग ने निर्णय लिया है कि प्रारंभ से अंत तक की कार्रवाई सुनिश्चित करने के क्रम में संबंधित संगठनों के मुख्य सतर्कता अधिकारी प्रत्येक आरोपित अधिकारी जो दोषी पाए गए, जिनके विरुद्ध आयोग द्वारा विभागीय कार्रवाई की सलाह दी गई थी, के संबंध में जारी किए गए अंतिम शास्ति आदेशों के कार्यान्वयन के बारे में पुष्टि करें ।

4. इस संबंध में, कैलेंडर वर्ष 2020 और 2021 के लिए अनुपालन रिपोर्ट आयोग को 30.06.2022 तक अग्रेषित की जाए । इसी क्रम में, संबंधित संगठनों के मुख्य सतर्कता अधिकारी ऐसे प्रत्येक आरोपित अधिकारी के संबंध में अंतिम शास्ति आदेशों के कार्यान्वयन के बारे में पिछले कलैण्डर वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष 30 जून तक वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट भी प्रस्तुत करें ।

5. रिपोर्ट/विवरण का प्रारूप प्रपत्र (संबंधित मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित होना चाहिए) भी अनुलग्नक-I में संलग्न है ।

6. इसे भविष्य में सख्ती से अनुपालन के लिए नोट किया जाए ।

ह0/-
(राजीव वर्मा)
निदेशक

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव ।
2. सीपीएसयू/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/ सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कम्पनियों/स्वायत्त निकायों आदि के सभी मुख्य कार्यकारी ।
3. सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी ।
4. केन्द्रीय सतर्कता आयोग की वेबसाइट ।

संगठन का नाम : _____

अवधि : _____

यह प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा दी गई सलाह के आधार पर उक्त अवधि के दौरान आरोपित अधिकारी पर लगाई गई शास्ति पर संबंधित प्राधिकारियों द्वारा कार्यान्वयन किया गया है।

मुख्य सतर्कता अधिकारी का हस्ताक्षर एवं नाम